

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क/बी-6/नि०/वि.अनु./हीरा ट्रेडर्स/613/359

भोपाल, दिनांक ०८/०६/२०२०

प्रति,

श्री सुरेश कुमार सोनी
प्रोपराइटर
मेसर्स हीरा ट्रेडर्स
मेन रोड, बकतरा तहसील बुदनी
जिला सीहोर म०प्र०

विषय:- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञाप्ति)

नियम, 2009 के अधीन विशेष अनुज्ञाप्ति स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ:- मेसर्स हीरा ट्रेडर्स बकतरा का आवेदन दिनांक 20.01.2020

सन्दर्भित आवेदन द्वारा म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञाप्ति) नियम-2009 के अधीन विशेष अनुज्ञाप्ति चाही गई है। जिसमें कम्पनी के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति बकतरा जिला सीहोर में उत्पादकों से कृषि उपज करने हेतु 01 क्रम केन्द्र की स्थापना की अनुमति चाही गई है।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञाप्ति) नियम, 2009 के अधीन संशोधित 6 समूह नियत किये गये हैं और तदानुसार नियम 6 के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के नियत समूहवार प्रतिभूति की राशि नियत की गई है।

मेसर्स हीरा ट्रेडर्स, मेन रोड बकतरा तहसील बुदनी जिला सीहोर म०प्र० के द्वारा इन विनिर्दिष्ट समूहों में से (पांच) "धान्य तथा दलहन" समूह अंतर्गत खरीदी हेतु आवेदन में उल्लेख किया गया है।

मेसर्स हीरा ट्रेडर्स, बकतरा के द्वारा आवेदन में उल्लेखित 01 विनिर्दिष्ट मंडी समिति बकतरा जिला सीहोर में 01 क्रम केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु संशोधित नियम 6 के अधीन राशि रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) की एफ.डी.आर. भारतीय स्टेट बैंक बकतरा शाखा जो कि प्रबंध संचालक म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के नाम से प्रस्तुत की गई है, जिसकी अवसान तिथि 04 फरवरी 2021 तक है।

विशेष अनुज्ञाप्तिधारक के संदर्भित आवेदन दिनांक 20.01.2020 के अनुसार स्वीकृत विशेष अनुज्ञाप्ति में उनके द्वारा 01 क्रम केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति चाही गई है। अतः मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 32-क के अधीन संशोधित मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञाप्ति) नियम, 2009 के संशोधित नियम 4 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मेसर्स हीरा ट्रेडर्स, बकतरा को विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में उत्पादकों से सीधे कृषि उपज करने के लिए निम्नानुसार क्रम-केन्द्र स्थापना की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1/ आपके द्वारा खरीदी केन्द्र पर खरीदी किये जाने हेतु नियम 8(6) के तहत न्यूनतम 03 किलोमीटर की दूरी पर या उससे अधिक की अनुमति प्रदान की जाती है। खरीदी केन्द्र की जानकारी, खरीदी प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित मण्डी सचिव, आंचलिक कार्यालय एवं मण्डी बोर्ड, मुख्यालय को दी जायेगी। (मण्डी सचिव, क्य केन्द्र की नियत दूरी सीमा में स्थापना का सत्यापन करेगे)

2/ नियत सीमा के बाहर खरीदी केन्द्र स्थापित करने एवं उसकी सूचना मण्डी बोर्ड को उपलब्ध होने के पश्चात ही खरीदी प्रारंभ की जा सकेगी अन्यथा किसी भी तरह की खरीदी अवैध व्यापार मान्य किया जावेगा और आपके विरुद्ध मण्डी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

3/ अनुज्ञाप्तिधारक के लिये प्रथमतः यह अनिवार्य होगा कि वह विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण एवं क्य-केन्द्र में सुविधा स्थापित करे।

4/ अतः मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 32-के अधीन म.प्र.कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञाप्ति) नियम, 2009 के नियम 4, 8, 10, 12 के अनुसार मेसर्स हीरा ट्रेडर्स, मेन रोड बकतरा तहसील बुदनी जिला सीहोर को एक वर्ष के लिये अनन्तिम रूप से विशेष अनुज्ञाप्ति अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की जाती है। विशेष अनुज्ञाप्ति का प्ररूप-3 परिशिष्ट—"अ" पर संलग्न है।

संलग्न :—उपरोक्तानुसार

Sandeep Yadav
8.6.20
(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्रतिलिपि :-

- (1) संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञाप्ति) नियम, 2009 के नियम 4, 8, 10 एवं नियम 12 के अधीन उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञाप्ति "अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए अनन्तिम कर स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण में अनुज्ञाप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समिति को दी जाये।
2. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति..... जिला..... म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञाप्ति) नियम, 2009 के नियम 4, 8, 10 एवं 12 के अधीन जारी उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञाप्ति (जो अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। प्रथमतः अनुज्ञाप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य है कि वह विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण एवं क्य केन्द्र में सुविधा स्थापित करे।
3. चीफ प्रोग्रामर, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि कृषि उपज मण्डी समिति बकतरा जिला सीहोर के अनुज्ञाप्तिधारी मेसर्स हीरा ट्रेडर्स मेन रोड, बकतरा तहसील बुदनी जिला सीहोर म०प्र० कृषि उपज मण्डी समिति बकतरा जिला सीहोर मध्यप्रदेश को स्वीकृत विशेष अनुज्ञाप्ति को ई-अनुज्ञा मॉड्यूल में आवश्यक प्रविष्टि किया जाये।

8.6.20
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्ररूप-तीन

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय, 26 अरेरा हिल्स, गोपाल

विशेष अनुज्ञाप्ति क्रमांक/एस.एल./2020/08 दिनांक 08/06/2020

(एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार के लिए विशेष अनुज्ञाप्ति)

1. श्री/ श्री मती/ कुमारी/ मेसर्स हीरा ट्रेडर्स मेन रोड बकतरा तहसील बुदनी जिला सीहोर कृषि उपज मण्डी समिति बकतरा जिला सीहोर मध्यप्रदेश को अधिनियम की धारा 32-के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार हेतु दिनांक 08 जून वर्ष 2020 को विशेष अनुज्ञाप्ति एक वर्ष के लिए अनंतिम रूप से दी जाती है।

अनु.क्र.	विशेष अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञाप्ति स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञाप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मण्डी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	धान्य तथा दलहन	बकतरा	कृषि उपज मण्डी समिति बकतरा जिला सीहोर	बकतरा	मेसर्स हीरा ट्रेडर्स, मेन रोड बकतरा तहसील बुदनी जिला सीहोर	श्री सुरेश सोनी पिता श्री रामगोपाल सोनी, नि. वार्ड नं. 07 जेठा कालोनी, बकतरा तहसील बुदनी, जिला सीहोर मो10नो-9993165569	

2. इस अनुज्ञाप्ति के अधीन अनुज्ञाप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में समस्त क्रय केन्द्रों में मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय अनुमति के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में समस्त क्रय केन्द्रों में मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा (मेठन में नियम 4 (2) देखिए)

(1)

1

(2)

धान्य तथा दलहन

(3)

2000 मेठन

3. अनुज्ञाप्तिधारी, इस अनुज्ञाप्ति के दिये जाने/नवीनीकृत किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रत्येक विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्रों पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा:-

- (एक) इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज
- (दो) पेयजल की समुचित व्यवस्था
- (तीन) प्रकाश की समुचित व्यवस्था
- (चार) पुरुष तथा महिलाओं के लिये शौचालय की प्रसुविधा
- (पाँच) शेड की व्यवस्था
- (छ) किसानों के लिये छायादार विश्राम स्थल
- (सात) भुगतान काउन्टर
- (आठ) डेक्टर दाली आदि की पार्किंग की व्यवस्था
- (नौ) नमी, कचरा तथा क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये आवश्यक उपकरण तथा प्रशिक्षित मानव शक्ति,

(दस) प्रवेश, विक्य-क्य, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/क्षेत्रों पर सी.सी.टी.व्ही कैमरे सीपिट करना.

(यारह) क्य-विक्य लेखा की मैनुअल के साथ ही डिजिटल बैकअप प्रणाली संधारित रखना.

एकसचेंज अनुज्ञाप्तिधारक के मामले में -

(एक) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म,

(दो) उपयुक्त उपकरण के साथ श्रेणीकरण, किस्म परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा

(तीन) सुपुर्दगी केन्द्र

विनिर्दिष्ट क्य केन्द्रों में से किसी क्य केन्द्रों में प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्त प्रसुविधाओं को सृजित करने में असफल रहने पर, एक वर्ष के लिये दी गई अनन्तिम विशेष अनुज्ञाप्ति को ऐसे क्य केन्द्र के लिये

4. यह विशेष अनुज्ञाप्ति दिनांक मई वर्ष 2020 से मई वर्ष 2021 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रद्द

5. यह अनुज्ञाप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रद्द की जा सकती :-

(एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,

(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर,

(तीन) मण्डी फीस का अपवंचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,

(चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिकर्त्ता पाये जाने पर,

(पाँच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियों प्रस्तुत न करने पर,

(छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,

(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्य न किये जाने पर

अनुज्ञाप्ति उत्तीर्णकर्ता :

कार्यालय वा मोहर :



अधिसूचित प्राधिकारी / अधिकारी

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विषय बोर्ड

अधिसूचित प्राधिकारी / अधिकारी

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विषय बोर्ड,

भोपाल (म.प्र.)

4.6.21